किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र वास्ते सुपुर्दगी वाहन

(राज. गौवंशीय पशु अधि. 1955) नम्बर 07 सन् 202[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इंनिशिवल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.07.2024	प्रार्थी आजाद मियां पुत्र रशीद खां जाति मुसलमान, निवासी ग्राम गूगोर तहसील छबड़ा जिला बारां, (राज.) की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रार्थना पत्र बाबत् सुपुर्दगी वाहन ट्रेक्टर रजि0 नं0 आर.जे. 28 आरए 8635 जुर्म दफा 147, 149, 341, 323, 429 भादसं, धारा 9 राज0 गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 व धारा 11 प0 क्रू0 निवारण अधिनियम 1960 के तहत पेश किया। ए.पी.पी. के माध्यम से केस डायरी पुलिस थाना छबड़ा, जिला बारां (राज0) से तलब की गयी। प्रकरण दर्ज हो। प्रकरण में केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट थानाधिकारी, थाना छबड़ा से प्राप्त होने पर अभिभाषक प्रार्थी एवं सहायक लोक अभि0 की बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त अधिनियम के तहत पुलिस थाना छबड़ा, जिला बारां द्वारा प्रार्थी का वाहन रजि0 नं0 आर.जे. आर.जे. 28 आरए 8635 जप्त कर लिया गया है। जो पुलिस थाना छबड़ा में खडा है। उक्त प्रकरण में पुलिस थाना छबड़ा जिला बारां द्वारा तफ्तीश पूर्ण कर ली गयी है, अब वास्ते तफ्तीश प्रार्थी के उक्त वाहन की थाना छबड़ा जिला बारां को कोई आवश्यकता नहीं है। जब्तशुदा वाहन का प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक व स्वामी है जो उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने हेतु सक्षम व्यक्ति है। उक्त वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी मे दिये जाने की स्थिति में प्रार्थी ताफैसला मुकदमा जब्तशुदा वाहन को रहन बेचान नहीं करेगा तथा रंग रोगन परिवर्तन नहीं करेगा। प्रार्थी समुचित सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा पेश करने को तत्पर व तैयार है। अतः प्रार्थी की सुपुर्दगी में उक्त वाहन को दिये जाने का आदेश फरमावें। ए.पी.पी ने दौराने बहस तथ्यात्मक रिपोर्ट थानाधिकारी छबड़ा का अवलोकन करवाते हुए कथन किया कि "प्रकरण गैर जमानती तथा जैर अनुसंधान है।" यदि जब्तशुदा वाहन को रिलीज किया जाता है तो प्रकरण के अनुसंधान में विलम्ब होना संभावित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावे। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट [illegible] थाना छबड़ा का अवलोकन किया। हम [illegible] सहमत हैं कि वाहन को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये [illegible] में अनु[illegible] प्रभावित होगा। ऐसी स्थिति में [illegible]ना पत्र खारिज [illegible] जाता है। तथ्यात्मक रिपोर्ट थानाधिकारी, थाना छबड़ा शामिल फाईल रहे। केस डायरी वापस लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो बाद तामील अभिलेख में प्रविष्ट हो। जिला कलक्टर बारां (राज.)	प्रभारी [illegible] [illegible] 23/7/2024 Fc 1436

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar

Date: 2024.08.23 10:19:12 IST

Reason: SelfAttested